न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई

(पीठासीन अधिकारी– नीरज कुमार मीना, आर.ए.एस)

वाद संख्या – 158/2012
किस्म मुकदमा– दावा
तारीख निर्णय – 21.02.2012

1. लीलाप्रकाश पुत्र चन्द्रराम जाति जाट साकिन कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.
2. पॉच्या पुत्र प्रभू जाति जाट साकिन कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.
3. सुभाष पुत्र प्रभू जाति जाट साकिन कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.

– वादी

बनाम

1. भीमसिंह पुत्र कुन्दन जाति मीना निवासी नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. ध्रुवसिंह पुत्र कुन्दन जाति मीना निवासी कबई तहसील नदबई (मृतक)

2/1 अनोखी पत्नि ध्रुवसिंह जाति मीना निवासी नदबई
2/3 सीमा पुत्री ध्रुवसिंह जाति मीना निवासी नदबई
2/3 मनीषा पुत्री ध्रुवसिंह जाति मीना निवासी नदबई
2/4 अनीता पुत्री ध्रुवसिंह जाति मीना निवासी नदबई
2/5 बेबी पुत्री ध्रुवसिंह जाति मीना निवासी नदबई

3. हरीसिंह पुत्र कुन्दन जाति मीना निवासी नदबई
2 माया पुत्री कुन्दन जाति मीना निवासी नदबई
3 विमला पुत्री कुन्दन जाति मीना निवासी नदबई
4 किस्तूरी वेबा कुन्दन जाति मीना निवासी नदबई
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

– प्रतिवादीगण

उपस्थितः– 1. श्री लक्ष्मणसिंह एण्ड0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर. टी. ए.

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार यह है कि आराजी खसरा नम्बरान् 2757 रकवा 0.42, 2758 रकवा 0.41 किता 2 कुल रकवा 0.83 वाके ग्राम कबई द्वितीय पर स्थित है। जिस पर 1/2 हिस्से पर वादी स. 1 व 1/2 हिस्से के वादी स. 2 व 3 हिस्सा बराबर

यानि कि समभाग के खातेदार की तरह मुताबिक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। जमाबंन्दी संवत 2066 सं 2069 वाके कबई द्वितीय व साबिक रिकार्ड व मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 व संवत 2060 के कबई द्वितीय पेश है। तथा सत्य प्रतिलिपि आदेश एस.डी.ओ. भरतपुर ता.30.11.90 व फोटो प्रति नकल निणर्य 31.12.92 कार्यपालक मजिस्टेट सहायक कलक्टर नदबई पेश है। विवादित आराजी हाल ख.न. 2757 रकवा 0.42, 2758 रकवा 0.41 सैटलमैट संवत 2028 के खसरा न. 2310 रकवा 3 बी. 6 विस्वा पक्का वाके कबई द्वितीय से बना है। तथा सैटलमैट संवत 2028 से बना ख.न. 2310 सैटमैट संवत 2028 से पूर्व साबिक ख.न. 1849 रकवा 1 बी. 5 विस्वा , 1850 रकवा 1 बी. 11 विस्वा , 1851 रकवा 2 बी. 7 विस्वा. कच्चा से बना है। सैटलमैट संवत 2028 के पूर्व के ख.न. 1849, 1850, 1851 वाके कबई को अन्य आराजी के साथ साथ दिनांक 23.4.63 को प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 के ददिया सुसर व पर बाबा सावलिया पुत्र उम्मेद जाति मीना सा. नदबई ने जरिये रजि0 बयनामा विजेन्द्र , किशनी, चरणसिंह, केदार, साहबसिंह, नबलसिंह, जाति जाट निवासी बैलाराम के पक्ष में जरिये प्रतिफल विक्रय किया था। तथा उक्त आराजी पर खातेदार की तरह काबिज काश्त करते रहे तथा दिनांक 19.6.64 को उक्त विजेन्द्र वगै0 से विवादित आराजी के साबिक ख.न. 1849,1850,1851 वाके कबई को वादी स. 1 व राजेन्द्रसिंह पुत्र श्यामलाल जाति जाट निवासी कबई ने जरिये प्रतिफल क्रय की उक्त आराजी पर वादी स. 1 व उक्त राजेन्द्र सिंह बयनामा रजि0 तारीख 19.06. 64 से खातेदार की तरफ काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे थे। तथा जमाबंन्दी संवत 2028 के कर्मचारियो ने वादी स. 1 व उक्त राजेन्द्रसिंह के नाम इन्द्राजात खातेदारी को रिपीट ना कर गलत तरीके से प्रतिवादी स. 1 लगायत 7 के ददिया ससुर व पर बाबा सामलिया के नाम गैर खातेदारी के इन्द्राजत कर दिये तथा सांवलिया की मृत्यु के बाद गलत तरीके से प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 7 के पति कुन्दन के नाम विरासत का इन्तकाल स. 354 दिनांक 15.06.84 को उक्त कुन्दन के पक्ष में तस्दीक कर दिया तथा उसके अधार पर कुन्दन के नाम गैर खातेदारी के इन्द्राजत राजस्व रिकॉर्ड में आ गये जो कि गलत तरीके से आये। उक्त इन्तकाल स. 354 के विरूद्ध राजेन्द्रसिंह की तरफ से एस. डी.ओ. भरतपुर के यहां अपील थी जिसमें कानूनी निदेशों के साथ तहसीलदार नदबई को पत्रावली स. 354 दा.ख. पर पुनः सुनवाई करने के आदेश दिनांक 30.11.90 को एस.डी.ओ. भरतपुर ने पारित कर अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार नदबई ने पूर्ण सुनवाई कर दिनांक 03.05.1999 को एस.डी.ओ. भरतपुर के निर्णय दिनांक 30.11.90 की पालना निरस्त कर दिया जिसका अमल सं 2051 से 2054 की जमाबंन्दी वाके कबई द्वितीय में आकर खातेदार वादी स. 1 व उक्त राजेन्द्रसिंह के पक्ष में आई। तथा उक्त इन्द्राजात खातेदारी के गलत तरीके से सैटलमैट संवत 2060 ने वादी स. 1 व राजेन्द्रसिंह के नाम रिपीट न करते हुए प्रतिवादी स. 1 लगायत 6 के पिता व पति कुन्दन के नाम खातेदारी के इन्द्राजत कर दिये उक्त कुन्दन की मृत्यु हो चुकी है। जबकि उक्त राजेन्द्रसिंह ने विवादित आराजी का अपना 1/2 हिस्सा जरिये रजि0 बयनामा प्रतिफल लेकर वादी स. 2 व 3 को दिनांक 14.08.2001 को विक्रय कर दिया तथा कब्जा भी क्रेतागण वादी स. 2 व3 को सभला दिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा उक्त दिनांक से वादी स. 2 व 3 उक्त अराजी पर वादी स. 1 के साथ वा हिस्सा बराबर खातेदार की तरह काबिज चले आ रहे है। उक्त रजि0 बयनामा ता. 14.8.2001 के आधार पर इंतकाल स. 1060 से वादीगण स. 2 व 3 के नाम दिनांक 29.10.2001 को स्वीकृत हो कर 1/2 हिस्सा पर खातेदार स्वीकार हुआ। परन्तु सैटलमैट संवत 2060 ने वादीगण के इन्द्राजात खातेदारी को रिपीट ना कर गलत तरीके से मृतक कुन्दन के नाम गैर खातेदारी के इन्द्राजात कर दिया हाल राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से कुन्दन पुत्र मूला यानि प्रतिवादी स. 1 लगायत 6 के पिता व पति के नाम गैर खातेदार के इन्द्राजत के बिनाय पर प्रतिवादीस. 1 लगायत 6 के नाम विरासतन का दाखिला खारिज स. 697 खोला जाकर दिनांक 21.05.2012 को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिया जो तहसीलदार नदबई के निर्णय ता. 3.5.99 व एस.डी.ओ. भरतपुर के निर्णय तारीख 30.11.90 की रोशनी में वातिल व बैअसर है। हाल राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 के नाम विवादित अराजी चले आ रहे गैर खातेदारी से वादीगण के अधिकारो पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तथा प्रतिवादीगण स. 1 लगात 7 के नाम एस.डी.ओ. भरतपुर के निर्णय ता0 30.11.90 व सहायक कलक्टर के निणर्य ता. 31.12.91 की रोशनी में व तहसीलदार नदबई के आदेश ता0 03.05.99 सेमृतक सांवलिया द्वारा विक्रय की गई विवादित आराजी व केतागण विजेन्द्र वगै0 द्वारा वादी स. 1 व राजेन्द्रसिंह पुत्र श्यामलाल जाति जाट निवासी कबई को जरिये प्रतिफल विक्रय की गई आराजी बाबत प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 के पिता व पति के नाम के इन्द्राजात विरासतन दाखला खारिज स. 354 निरस्त कर वादी स. 1 के व राजेन्द्रसिंह के नाम के इन्द्राजात खातेदारी होने व उक्त राजेन्द्रसिंह द्वारा अपना हिस्सा वादीगण स. 2व 3 को विक्रय कर देने व इन्तकाल स. 1060 से वादीगण स. 2 व 3 के नाम इन्द्राजात खातेदारी आने से प्रतिवादीगण के नाम के हाल इन्द्राजात गैर खातेदारी गलत है। अतः वादीगणस. 1 व वादीगण स. 3 व 3 आराजी पर आपने आप को वा हिस्सा बराबर यानि वादी स. 1 , 1/2 हिस्सा वादी स. 2 व 3 , 1/2 हि. पर वा हिस्सा बराबर अपने आप को खातेदार व काबिज घोषित करापाने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी स. 1 लगायत 6 के नाम इन्द्राजात गैर खातेदारी को कलमजन करा पाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 के पद्वा में कुन्दन के मरने के बाद विरासत के इन्तकाल स. 697 ता0 21.05.12 को जो कि ग्राम पंचायत कबई द्वारा तस्दीक किया गया है। को वादीगण वातिल व बेअसर घोषित करा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी की आराजी पर आपने नाम गैर खातेदारी तरीके से गैर खातेदारी के इन्द्राजात करा लिये है। तथा अब उक्त आराजी पर प्रतिवादी सं.7 से मिलकर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करा के खातेदारी के इन्द्राजात अपने नाम करवाते हुए विवादित अराजी को रहनबय मुन्तकिल कर देंगे। अगर उक्त धमकी में कामयाब हो गयें तो वादीगण को अजीम क्षति होगी। अतः वादीगण स. 1 लगायत 3 प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 7 को स्थाई निषेज्ञाया की डिक्री से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना कि वादी स. 1 तथा वादीगण स. 2 ,3 विवादित आराजी के वा हि. बा. खातेदार व काबिज है। यानि कि वादी स. 1, 1/2 हिस्से का व वादी स. 2 व 3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वा हिस्सा बराबर 1/2 हिस्से के खातेदार व काबिज है। तथा प्रतिवादीगण स. 1 लागायत 6 के नाम के हाल राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे गैर खातेदारी को कलमजन किया जावें। तथा प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 के पक्ष में ग्राम पंचायत कबई द्वारा दिनांक 21.05.12 को तस्दीक किये दाखिला खारिज स. 697 को बातिल बेअसर घोषित किया जावें। तथा स्थाई निषेज्ञाया वाहक प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 7 इस आशय की डिक्री कि जावें कि वे आराजी की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तथा आराजी से बेदखल ना करे।

दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किये गये प्रतिवादी स. 1 व 3 लगायत की और से श्री मुकेश कुमार एण्ड उपस्थित हुये। तथा प्रतिवादी संव 2 व 7 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी वकील को अपना जबाब दावा पेश करने को कई अवसर दिये गयें परन्तु उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश नहीं किया गया तथा दिनांक 21.11.17 जबाब दावा बंन्द किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादी द्वारा आपने वाद पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी सवत हाल 2066–69 वाके ग्राम कबई द्वितीय, नकल जमाबन्दी सवत 2051 से 2054 वाके ग्राम कबई द्वितीय, सत्य प्रति भूप्रबंध भाग कबई संवत 2028, नकल मिलान क्षेत्रफल सवत 2060 वाके कबई द्वितीय , नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम कबई द्वितीय, सत्य प्रति नामान्तकरण कबई द्वितीय दिनांक 25.6.12, सत्य प्रति नामान्तकरण दिनांक 02.2.12, सत्य प्रति नामान्तकरण दिनांक 02.02.12 सत्य प्रति जमाबंन्दी संवत 2019 वाके कबई, सत्य प्रति जमाबंन्दी संवत 2013 से 2016 वाके ग्राम कबई द्वितीय , सत्य प्रति आदेश दिनांक 30.11.90 निर्णय व डिक्री ता. 31.12.91 उनवान राज0 सरकार बनाम कुन्दन वगै0, सत्य प्रति बन्दोबस्त सन 2000 सं 2021 वाके ग्राम कबई द्वितीय खाता स. पेश किये गये तथा मौखिक बयान के रूप मे लीलाप्रकाश पुत्र चन्दराम जाति जाट निवासी कबई, रामभरोसी पुत्र प्रभू जाति जाट निवासी कबई तह0 नदबई के ब्यान पेश किये गये।

बहस एक तरफा सुनी गई । हमने बहस पर समन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि विवादित आराजी ख.न. 2757 रकवा 0.42, 2758 रकवा 0.41 किता 2 कुल रकवा 0.83 वाके ग्राम कबई द्वितीय पर प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 की गैर खातेदारी का अंकन हो रहा है। तथा नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 से हाल ख.न. 2757, 2758 का साबिक ख.न. 2310 है। के पुराने ख0न0 1849, 1850, 1851 है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीख 23.04.63 से उक्त आराजी का विक्रय सांवलिया ने विजेन्द्र , किशनी, चरनसिंह, केदार, साहबसिंह, नवलसिंह पि0 खचेरा जाति जाट साकिन बैलारा को किया , तथा इसी आराजी के केता विजेन्द्र वगै0 ने दिनांक 19.06.64 को लालाप्रकाश पि. चन्दराम, राजेन्द्रसिंह पुत्र सामला को विक्रय किया गया। तथा तहसीलदार नदबई ने प्रार्थना पत्र स. 242/87 से कुन्दन, श्यामलाल व लीला प्रकाश के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 175 के तहत कार्यवाही कर जिस पर सहायक कलक्टर नदबई ने अपने निर्णय दिनांक 31.12.91 के अनुसार ख.न. 2310 का विक्रय पत्र तारीख 23.4.63 का है जो आर.आर.डी. 1964 पृष्ठ 342 के अनुसार 1.5.64 से पूर्व किये गये विक्रय पत्र इस संशोधन से प्रभावित नही होते है। तथा उनके प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। तथा आराजी का कब्जा अप्रार्थी लीला प्रकाश व राजेन्द्रसिंह को सम्भला ने के आदेश दिये गये। तथा ख0न0 2310 पर कुन्दन पुत्र मूला के स्थान पर नामान्तकरण स.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

354 से लीलाप्रकाश तथा राजेन्द्रसिंह की खातेदारी का अंकन किया जो नकल जमाबंन्दी संवत 2051 लगायत 2054 में है। परन्तु राजेन्द्रसिंह पुत्र श्यामलाल ने अपना 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी सं. 2 व 3 को विक्रय कर दिया तथा नामान्तकरण स. 1060 से उनका अंकन हो रहा है। परन्तु सैटलमेन्ट विभाग ने पुनः वादीगण के इन्द्राज को कलमजन करके प्रतिवादीगण को अंकन कर दिया गया जो कि कानून गलत किया गया है। इस प्रकार वादी विवादित आराजी पर वादी स. 1, 1/2 हिस्सा पर तथा 1/2 हिस्सा पर वादी स. 2 व 3 खातेदारी का अंकन कराने का अधिकारी है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक बयान के रूप मे लीलाप्रकाश पुत्र चन्दराम जाति जाट निवासी कबई, रामभरोसी पुत्र प्रभू जाति जाट निवासी कबई तह0 नदबई के बयान पेश किये गये। जिससे जाहिर किया गया है कि विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा प्रतिवादीगण वादी की कब्जे काश्त आराजी में दखलनंदाजी करते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के खिलाफ में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये। इसलिए वादी को वाद काबिल डिक्री के है। अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित है।

अत आदेश है कि दावा वादीगण स. 1 लगायत 3 स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख.न. 2757 रकबा 0.42, 2758 रकबा 0.41, किता 2 कुल रकबा 0.83 हैक्ट. वाके कबई द्वितीय तह0 नदबई पर वादी सं. 1 को 1/2 हिस्से का तथा वादीगण स. 2 व 3 को बा हि.बा 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है। तथ प्रतिवादी सं. 1, व मृतक प्रतिवादीगण स. 2 के वारिसान प्रतिवादीगण स. 2/1 लगायत 2/5 एंव प्रतिवादीगण स. 3 लगायत 6 के इन्द्राजात गैर खातेदारी कलमजन किये जावें

निर्णय आज दिनांक 21.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नीरज कुमार मीना)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)